

बिहार सरकार
खेल विभाग

ज्ञाप संख्या-5/नि. 2-5/2025121...../

पटना, दिनांक-19.4...../2026

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय:- पाटलिपुत्र खेल परिसर अन्तर्गत एप्रोच रोड, कैम्पस विकास एवं रेनबो मैदान का सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹843.52 लाख (आठ करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना उद्ध्य के अंतर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या-03 के बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 0106-स्टेडियम एवं खेल संरचना विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य,

मांग संख्या-03 के बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0101-स्टेडियम एवं खेल संरचना विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं


मांग संख्या-03 के बजट शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना 0104-स्टेडियम एवं खेल संरचना विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से होगा। जिसकी विस्तृत व्यय विवरणी निम्नवत है:-

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	राशि (लाख में)
01	03-4059600510106 (सामान्य घटक)	53-01	700.12
02	03-4059607890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक)	53-01	134.96
03	03-4059607960104 (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)	53-01	8.44
कुल योग			843.52

3. इस आय-व्ययक के नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना है, जिनके द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।
4. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार (विश्वेश्वरैया भवन), पटना से की जायेगी एवं कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उनके मांग के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।
5. उक्त निर्माण कार्य का कार्यकारी अभिकरण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना होगा। जिनके द्वारा अनुमोदित मॉडल नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जायेगा एवं कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी खेल विभाग, बिहार, पटना एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
6. कार्यान्वयन का अनुश्रवण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा किया जायेगा। योजना का कार्य पूर्ण होने पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विधिवत हस्तगत करायेंगे।

7. इस प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक-16.03.2026 को संचिका सं०-5/नि. 2-5/2025 के पृष्ठ सं०-126/प० एवं दिनांक- 02.02.2026 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा पृष्ठ सं०-115/प० पर प्राप्त है।
8. यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998, संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
9. इस राशि की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(निरंजना कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-10/04/2026

ज्ञापांक-5/नि. 2-5/2025/121


प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (विश्वेश्वरैया भवन), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-10/04/2026

ज्ञापांक-5/नि. 2-5/2025/121


प्रतिलिपि-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-10/04/2026

ज्ञापांक-5/नि. 2-5/2025/121


प्रतिलिपि- महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-10/04/2026

ज्ञापांक-5/नि. 2-5/2025/121

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट शाखा, खेल विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/प्रशाखा 2 एवं आई०टी० मैनेजर, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।